

18  $\frac{07}{23}$

188

पत्रावली पेश हुई। कबुलाय उप।

वादी व उनके अधीकर्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में पक्षकारों के मह्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से वाद की जरिये विद्रोह प्रार्थना पत्र धारिज किये जाने का निवेदन किया। चूंकि वादी व उनके अधीकर्ता वाद को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वाद वादी जरिये विद्रोह प्रार्थना पत्र धारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
वाली (जिला-पाली) राज